रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 792] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2015/चैत्र 26, 1937
No. 792] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2015 /CHAITRA 26, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय)
अधिसूचना

बेंगलूर, 8 अप्रैल, 2015

सं. 02/2015–सी.शु.(एन.टी.)

का.आ.1025(अ).–सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 152 के खण्ड (क) के अधीन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 1 जुलाई, 1994 की अधिसूचना सं. 33/94–सी. शु. (एन.टी.) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं, कर्नाटक के तुमकुर जिले–572 218 में स्थित सर्वे सं. 278, दसौड़ी गाँव, हूलियर होबली चिक्कनयकनहल्ली तालुक को सीमा–शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 9 के अधीन 100: निर्यातोनमुख एकक (ई.ओ.यू.) को स्थापित करने की सीमित उद्देश्य के लिए भांडागार स्टेशन के लिए घोषित करता हूँ ।

[फा. सं. सं. सी.–IV/16/10/2015–ईओयू बें–II]
अशोक, आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE)
NOTIFICATION

Bangalore, the 8th April, 2015

No. 02/2015-Cus (NT)

S.O. 1025(E).—In exercise of the powers delegated to the undersigned vide Notification No. 33/94-Cus (NT) dated 1st July, 1994 by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi under clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962, I hereby declare Survey No. 278, Dasudi Village, Huliyar Hobli, Chikkanayakanahalli Taluk, Tumkur District – 572 218 in the state of Karnataka to be warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962, for the limited purpose setting up of 100% EOU.

[F. No. C. No. IV/16/10/2015-EOU B-II]
ASHOK, Commissioner

1719GI/15

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.